

28<sup>06</sup>/<sub>22</sub> पत्रावली पेश हुई। कोई भी उप. नहीं। वादी व वादी वकील को बार-बार आवाज लगाई गई। कोई भी उप. नहीं माये। वादी व वादी वकील को बाबजूद सूचना अनु. रहने से पत्रावली अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है पत्रावली केसल शुमार होकर नम्बर से क्रम है। वाद पूर्ति दारिले दफ्तर है।

सहायक कलेक्टर  
बहरोड़ (अनवर) राज.